SC-6

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्या-563/चार-2008-246 वि0/2007
लखनऊ दिनांक: 15 फरवरी, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार विषयक निम्न मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं:-

1 शीर्षक "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार

2- उद्देश्य:-

संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रति वर्ष दो कलाकारों को सम्मानित किये जाने की योजना है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो।

3- संख्या एवं राशि:-

मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान, पुरस्कार प्रति वर्ष दो कलाकारों को निम्नलिखित विधाओं में प्रदान किया जायेगा:-

1 शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन, नृत्य)
2- लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य)
3- आधुनिक एवं पारम्परिक नाट्य विधा (लेखन, अभिनय, निर्देशन)
4- आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलायें (चित्रकला, मूर्ति कला आदि)

"मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख की धनराशि, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र सम्मानित कलाकार को भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

4 अर्हतायें:

मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान के अन्तर्गत विचार हेतु निम्नलिखित अर्हतायें होना आवश्यक है:-

1- भारत का नागरिक होना चाहिये।

2 उ0प्र0 में रहकर न्यूनतम 10 वर्ष तक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

3 अपनी विधा विशेष में कुल मिलाकर न्यूनतम् 20 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हो।

5- प्रक्रिया:-

"मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से नामांकन प्राप्त किया जायेगा:-

1 प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक देश के राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार, पत्रों में विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप पर निम्न सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों से नामांकन प्राप्त किये जायेंगे:-

1- भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित सांस्कृतिक स्वायत्तशासी संस्थान।

2- देश के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र।

3 प्रसार भारती (दूरदर्शन/अकाशवाणी केन्द्र।

4- विश्वविद्यालयों के कला संकाय/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला संस्थान।

5- पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव।

प्रारूप में संस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तावित कलाकार की विशिष्टि उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति द्वारा प्रत्येक वर्ष किसी वरिष्ठ कलाकार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। परीक्षण के उपरान्त आख्या चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

6- चयन समिति

(क) "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिये निम्नलिखित चयन समिति होगी-

1-	मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य सचिव
3-	शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ	सदस्य
4-	लोक संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ	सदस्य
5-	आधुनिक एवं परम्परागत नाट्य विधाएं(लेखन,अभिनय निर्देशन) दो विशेषज्ञ	सदस्य
6-	आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलाएं (चित्रकला, मूर्तिकला आदि) दो विशेषज्ञ	सदस्य

(ख) चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।

(ग) चयन समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है।

(ग) चयन समिति की बैठकों में सम्मिलित होने के लिये बाहर से आये विशेषज्ञों को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया देय होगा। उन्हें उसी दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जिस दर से राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों को अनुमन्य होता है। इससे संबंधित व्यय प्रतिवर्ष "मान्यवर श्री कांशीराम सम्मान पुरस्कार" हेतु प्राविधानिक धनराशि से वहन किया जायेगा।

(घ) सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के समक्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय से प्राप्त नामांकित एवं परीक्षण आख्या विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति नियम-3 में उल्लिखित विधाओं में से 2 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के नाम "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान पुरस्कार" हेतु संस्तुत करेगी।

(छ) चयन समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि आवश्यक समझे तो वे नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं जो समिति की दृष्टि में विचार योग्य हों।

(ज) चयन समिति की अनुशंसा शासन के लिये बंधनकारी होगी।

7. सम्मान समारोह:-

1. "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" हेतु दो कलाकारों को मा0 कांशीराम जन्म स्मृति समारोह में अलंकृत किया जायेगा।

2. सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए सम्मानित कलाकारों को किराया (रेल वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा हवाई जहाज) तथा राज्य अतिथि के रूप में अनुमन्य स्थानीय व्यवस्था की जायेगी।

3. सम्मान समारोह हेतु चयनित वृद्ध एवं गम्भीर रूप से अस्वस्थ अथवा शारीरिक रूप से अक्षम महानुभावों को एक अनुरक्षक साथ में लाने की अनुमति भी दी जायेगी जिसे वैसी ही सुविधायें दी जायेगी जो सम्मान प्राप्त करने वाले महानुभावों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।

संख्या-563(1)/चार-08तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डल आयुक्त/जिला अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0लखनऊ।

आज्ञा से,
(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।

मा० श्री कांशीराम कला सम्मान पुरस्कार
(नामांकन प्रारूप)

03 फोटोग्राफ

1. नाम:- ....
2. पिता का नाम:- ....
3. जन्मतिथि ....
4. निवास का पता:- ....
(दूरभाष नम्बर सहित) ....
5. अर्हताएँ:-
   क- शैक्षिक ....
   ख- तकनीक ....
   ग- प्रशिक्षण ....
   घ- अनुभव ....
6. उपलब्धियाँ:- ....
....
....
7. उ0प्र0 में कला में ....
योगदान की अवधि:- ....
(प्रमाण सहित) ....
8. संस्तुतकर्ता की नामांकन ....
के संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी:- ....

हस्ताक्षर:

नाम/पदनाम/पता सहित:

नोट:- कृपया उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में सम्यक प्रमाणों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रारूप में स्थान कम होने पर अलग से सूचनाएँ अभिलिखित कर संलग्न करें।

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्या-1178 /चार-2008-246 वि0/2007
लखनऊ दिनांक: 14 मार्च, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

तात्कालिक प्रभाव से संख्या-563/चार-2008-246(वि0)/2007 दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा जारी अधिसूचना में भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय मा0 श्री कांशीराम कला सम्मान विषयक मार्गदर्शक सिद्धान्त में निम्नानुसार संशोधन करते हैं।

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 अर्हताएं 2-उत्तर प्रदेश में रहकर न्यूनतम दस वर्ष कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।	2- हटा दिया गया है।
5-प्रक्रिया 1- प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक देश के राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप पर निम्न सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों से नामांकन प्राप्त किये जायेंगे।	1- प्रत्येक वर्ष निदेशक संस्कृति उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक देश के राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप में कलाकारों से सीधे तथा सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों/के अतिरिक्त भी नामांकन प्राप्त किये जायेंगे।
6- चयन प्रक्रिया 6(क) "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिये निम्नलिखित चयन समिति होगी- 1- मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश - अध्यक्ष 2- प्रमुख सचिव/सचिव,	6(क) "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिये निम्नलिखित चयन समिति होगी- 1- श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मा0 मंत्री, आवास, लोक निर्माण,

संस्कृति विभाग	सदस्य, सचिव
3- शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ	सदस्य
4- लोक संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ	सदस्य
5- आधुनिक एवं परम्परागत नाट्य विधाएं(लेखन, अभिनय निर्देशन) दो विशेषज्ञ	सदस्य
6- आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलाएं(चित्रकला, मूर्तिकला आदि) दो विशेषज्ञ	सदस्य

सिंचाई एवं आबकारी विभाग	अध्यक्ष
2- श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 मंत्री, समाज कल्याण,अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि विपणन	सदस्य
3- श्री नकुल दुबे,मा0 मंत्री, नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन	सदस्य
4- श्री दद्दू प्रसाद,मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास	सदस्य
5- श्री राम अचल राजभर, मा0 मंत्री, परिवहन	सदस्य
6- प्रमुख सचिव, आवास	सदस्य
7- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक/माध्यमिक/ उच्च शिक्षा	सदस्य
8- प्रमुख सचिव, भाषा	सदस्य
9- प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति	सदस्य
10- प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
11- प्रमुख सचिव, सूचना	सदस्य
12- प्रमुख सचिव, पर्यटन	सदस्य
13- प्रमुख सचिव, उद्यान	सदस्य
14- प्रमुख सचिव, खेलकूद	सदस्य
15- प्रमुख सचिव,समाज कल्याण	सदस्य
16- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
17- प्रमुख सचिव/सचिव,संस्कृति	सदस्य सचिव
18- सचिव, राज्य सम्पत्ति	सदस्य
19- निदेशक, सूचना	सदस्य
20- निदेशक, संस्कृति	सदस्य
21- राज्य सम्पत्ति अधिकारी	सदस्य

22- अध्यक्ष चयन समिति द्वारा
यथा आवश्यकतानुसार
विशेषज्ञ/अन्य महानुभाव
को सदस्य के रूप में
नामित किया जा सकता है। सदस्य

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव

संख्या-1178(1)/चार-08तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डल आयुक्त/जिला अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।